

श्रीगं लाल कादकाली

T-2 164/2022

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/9/22	<p>पत्रावली भेजा हुआ है। पिछले समय में अन्य सजा कार्य में विलंबता के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/10/22 को भेजा गया है।</p>
	21/10/22	<p>पत्रावली भेजा है। वरुणा कादकाली के प्रकरण में दिनांक 20/3/2022 का प्रावधानिक डिक्री जारी की गई थी। निम्न डिक्री की प्रकृत हेतु तहसीलदार सीगानंद को तहसील जारी की गई। तहसीलदार सीगानंद द्वारा उनके पत्र सं. 31/डिक्री/2022/8142 दिनांक 20/3/22 को भेजा गया था कि गौरी पर गावासी सौसाधरी द्वारा कोलेनी काटी जाकर पुष्पा बाबुजी ताल निर्मित होने के कारण अज्ञात से भेजा जाना संभव नहीं है पत्रावली से तहसीलदार सीगानंद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया कि तहसीलदार तहसील व रिपोर्ट प्रेषित का दो बिना अज्ञात रिपोर्ट प्रकरण का निष्पत्ती नहीं किया जा सकता था। प्रावधानिक प्रावधान रिपोर्ट गौरी पर गावासी पत्रावली का कोलेनी काटी जाकर पुष्पा बाबुजी ताल निर्मित होने के कारण अज्ञात से भेजा जाना संभव नहीं होने के कारण इसी स्तर पर स्वार्थी रिपोर्ट जावा है पत्रावली प्रेषित अज्ञात दोहरा है जो संभव है बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।</p>

वर्ष

नांक आज्ञा कार्यवाही

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (दिलीप)

